बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र02/बि0स्टे0पा0जे0कं0लि0–51/2013 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **बरौनी ताप विद्युत गृह विस्तार परियोजना 2×250 मेगावाट के निर्माण की योजना हेतु स्वीकृत अनुमानित लागत 3133.169 करोड़ रुपये के बदले पुनरीक्षित लागत 5308.07 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना एवं पुनरीक्षित लागत में पुनरीक्षित हिस्सा पूँजी के रूप में 1592.42 करोड़ रूपये के विरूद्ध इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से हिस्सा पूँजी के रूप में वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

राष्ट्रीय नीति के अनुरूप सभी गांवों का विद्युतीकरण एवं बढ़ती हुई विद्युत मांग को पूरा करने हेतु उत्पादन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की 2×250 मेगावाट विस्तार परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की 2×250 मेगावाट विस्तार परियोजना की कुल लागत 3133.169 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं योजना का वित्त पोषण 30 प्रतिशत हिस्सा पूँजी एवं 70 प्रतिशत बाजार ऋण को आधार मानकर हिस्सा पूँजी की कुल राशि 986.89 करोड़ रूपये स्वीकृत की गई। इस स्वीकृत राशि में से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक कुल 821.00 करोड़ रूपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/बिहार स्टेट पावर (हों0) कंम्पनी लि0 के अनुषंगी कम्पनी बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराया गया है।

2. बरौनी ताप विद्युत गृह विस्तार परियोजना 2×250 मेगावाट के निर्माण की 3133.169 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना जिसमें 67.50 करोड़ रूपये भूमि अधिग्रहण की राशि शामिल है एवं इस योजना का वित्त पोषण 30 प्रतिशत हिस्सा पूँजी एवं 70 प्रतिशत ऋण प्रस्तावित थी। वर्त्तमान में विस्तार परियोजना की पुनरीक्षित लागत 5308.07 करोड़ रूपये हो गयी है। इस राशि में 30 प्रतिशत हिस्सा पूँजी एवं भूमि अधिग्रहण की राशि शामिल करने पर कुल पुनरीक्षित हिस्सा पूँजी की राशि 1592.42 करोड़ रूपये हो गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार द्वारा बरौनी ताप विद्युत गृह विस्तार परियोजना 2×250 मेगावाट के निर्माण की योजना हेतु स्वीकृत अनुमानित लागत 3133.169 करोड़ रुपये के बदले पुनरीक्षित लागत 3707.00 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति, पुनरीक्षित लागत में पुनरीक्षित हिस्सा पूँजी के रूप में 1179.60 करोड़ रूपये की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से हिस्सा पूँजी के रूप में 10.00 (दस करोड़) करोड़ रुपये राज्यादेश संख्या–2762 दिनांक 31.07.2014 द्वारा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति की प्रदान की गयी है एवं राज्यादेश संख्या–3080 दिनांक 23.08.2014 द्वारा 150.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये। वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्यादेश संख्या–1725 दिनांक 22.06.2015 द्वारा 20.00 करोड़ रूपये एवं राज्यादेश–1915 दिनांक 08.07.2015 द्वारा 30.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये हैं। पुनः राज्यादेश संख्या–2463 दिनांक 24.08.2015 द्वारा योजना की पुनरीक्षित लागत 3707.00 करोड़ रूपये से बढ़कर 5308.07 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है एवं राज्यादेश संख्या–339 दिनांक 11.02.2016 द्वारा 6.41 करोड रूपये, राज्यादेश संख्या–0985 दिनांक 21.03.2016 द्वारा 50.00(पचास) करोड़ रूपये, राज्यादेश संख्या–1385 दिनांक 02.05.2016 द्वारा 300.00 करोड़ रूपये तथा राज्यादेश संख्या 1000 दिनांक 21.03.2017 के द्वारा 85.67 करोड़ रूपये इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायी गई है।

4. बरौनी ताप विद्युत गृह विस्तार परियोजना 2X250 मेगावाट के निर्माण की योजना का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में तत्काल 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूंजी के रूप में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

5. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बरौनी ताप विद्युत गृह विस्तार परियोजना 2×250 मेगावाट के निर्माण की योजना हेतु स्वीकृत अनुमानित लागत 3133.169 करोड़ रुपये के बदले पुनरीक्षित लागत 5308.07 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना एवं पुनरीक्षित लागत में पुनरीक्षित हिस्सा पूँजी के रूप में 1592.42 करोड़ रूपये के विरूद्ध इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से हिस्सा पूँजी के रूप में वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–02 ताप विद्युत उत्पादन, लघुशीर्ष– 190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0–10–उपशीर्ष–0102 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड–10–4801021900102 विषय शीर्ष–5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0एल0 खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–120–अन्य निधियों, उपशीर्ष–0045 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0, व्यय शीर्ष–848001200045 एवं प्राप्तियों–के0–8448001200045 में जमा की जायेगी।

8. बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी0ए0 खाता संख्या **PLA273** से की जाएगी।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र02/बि0स्टे0पा0जे0कं0लि0–51/2013 के पृष्ठ संख्या 50/टि0 पर दिनांक 22.08.15 को प्राप्त है।

11. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या–प्र02/बि0स्टे0पा0जे0कं0लि0–51/2013 के पृष्ठ संख्या–66/टि0 पर दिनांक–01.08.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/बि0स्टे0पा0जे0कं0लि0–51/2013 दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ महालेखाकार(लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/बि0स्टे0पा0जे0कं0लि0–51/2013 2457 दिनांक– 02/08/2017

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव, ऊर्जा विभाग/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग)कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।